तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 78/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00179) बअनवान रामलाल व अन्य बनाम भागीरथराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

रामलाल व अन्य

बनाम

भागीरथराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 7

आदेश

दिनांक 02.04.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2019 अनवान भागीरथराम बनाम हरिंगाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 जुलाई 2019 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 25 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। कानूनन सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना कोई नोटिस दिये रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता तीन को एक तरफा सुनते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है। विवादग्रस्त भूमि के सह खातेदार हरिंगाराम द्वारा अपीलार्थी सख्या एक रामलाल को गोद ले रखा है तथा उक्त गोदनामा दिनाक 20.06.2014 को उप पंजीयक फलोदी के यहां पंजीबद्ध किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता तीन का सम्पूर्ण वाद इसी आधार पर है कि सह खातेदार हरिंगाराम के रामलाल गोद पुत्र नहीं है, जबकी गोदनामा रजिस्टर्ड है तथा जब तक उक्त गोदनामा सक्षम सिविल न्यायालय निरस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 78/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00179) बअनवान रामलाल व अन्य बनाम भागीरथराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं कर देता है, तब तक राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। स्वयं हरिंगाराम वर्तमान में जीवित है तथा हरिगाराम द्वारा गोदनामें को कहीं चेलेंज नहीं किया है। हरिंगाराम के हिस्से में अपीलार्थी संख्या एक रामलाल ही काबिज है व काश्त करता है। उसके हिस्से में रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता तीन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई दस्तावेज देखे सभी खसरो के सम्पूर्ण रकबे पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता तीन का प्रार्थना पत्र हर सुरत में खारिज करने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि विवादग्रस्त भूमि पर सभी सह खातेदार अपने-अपने हिस्से पर पीढियो से अलग अलग काबिज है व काश्त करते आ रहे है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट सख्या एक ता तीन अपीलार्थीगण को काश्त करने में व्यधान पैदा करते है, जबकी कानूनन ऐसा करने का उन्हे कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 जुलाई 2019 को निरस्त किया जावे एवं रेस्पोडेंट संख्या एक के द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक ता तीन की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर अपना पक्ष रखे बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की है जो अंतरिम आदेश के विरुद्ध होने से पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 78/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00179) बअनवान रामलाल व अन्य बनाम भागीरथराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स ने विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किये बिना तथा अपना पक्ष रखे बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। प्रथमदृष्टया अपीलांट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। लिहाजा मामला अंतिम निस्तारण हेतु दिशा निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर